पत्रसंख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु-57/स0प0/12-13/वि0अनु0शा0व्यवस्थापरिवर्तन/**1213030**/692वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्यकर, उ0प्र0।

(वि0अनु0शा0 अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक:: 03 जुलाई, 2012

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर, उ0प्र0

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 वाणिज्यकर, उ0प्र0

ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्यकर , उ0प्र0

डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेंट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी ,

वाणिज्य कर , उ0प्र0 ।

विभाग में कार्यरत विशेष अनुसंधान शाखा (वि0अनु0शा0) इकाईयो द्वारा सम्पादित कार्यो के सम्बंध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में जारी परिपत्रों एवं विभागीय मैनुअल के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन दिये गये है। समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया है कि वि0अनु0शा0 इकाईयों के कार्यो की गुणवत्ता एवं उनके परिणाम उत्साहवर्धक नही है। अधिकॉश जॉचे भी स्तरीय एवं परिणामपरक नही रही है। परिणामस्वरूप वि0अनु0शा0 इकाईयॉ दिगभ्रमित होकर अपने कार्यो को औपचारिकतावश सम्पादित कर रही है। इन स्थितियों के दृष्टिगत वि0अनु0शा0 इकाइयों की कार्य-प्रणाली को अधिक सुदृढ, सुनियोजित एवं परिणामपरक बनाये जाने की आवश्यकता है ।

अत: वि0अनु0शा0 इकाइयों की कार्य-प्रणाली एवं जॉच को और अधिक प्रभावोत्पादक एवं परिणामपरक बनाने के उद्देश्य से निम्नवत निर्देश जारी किये जा रहे है जो तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें :-

सामान्य

1. प्रत्येक जोन में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) के नेतृत्व में ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) कार्य करेंगे, जिनके अधीन वि0अनु0शा0 इकाइयॉ कार्य सम्पादित करेंगी ।
2. **वि0अनु0शा0 इकाइयों के कार्य हेतु पूर्व में निर्धारित मासिक कोटा (मानक) तात्कालिक रूप से समाप्त किया जाता है, किन्तु अधिकारियों के कार्य का मूल्यॉकन उनके द्वारा प्रकाश में लाये गये मामलों /प्रकरणों की गुणवत्ता एवं उनसे प्राप्त परिणाम पर आधारित होगा ।**
3. **वि0अनु0शा0 इकाईयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों को अपने-अपने स्तर से करापवंचन के महत्वपूर्ण मामले प्रकाश में लाने होगें । इन मामलों के आधार पर ही अधिकारियों के वार्षिक कार्य के मूल्यॉकन पर विचार किया जाएगा ।**
4. रू0 दो करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले मामलों में सर्वेक्षण हेतु लिखित जॉच अनुमति जोनल एडीशनल कमिश्नर से प्राप्त की जाएगी ।
5. औद्योगिक इकाइयों के सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त की अनुमति लिये जाने के संबंध में मुख्यालय से जारी परिपत्र डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0)मु0-स0प0/21/ 01-02/ 3321, दि0 20-11-01 से दिये गये निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे ।
6. कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि समय समय पर वि0अनु0शा0 द्वारा मॉगी गयी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें ।

वि0अनु0शा0 जॉच के पूर्व की प्रक्रिया

1. किसी भी व्यापारी / फर्म / प्रतिष्ठान के सर्वेक्षण के पूर्व कर निर्धारण पत्रावली, अन्य विभागों एवं अन्य श्रोतो से आवश्यक सूचनाएं संकलित करके तथा आवश्यकतानुसार टेस्ट परचेजिंग रेकी आदि करते हुए विधिवत तैयारी की जाय । जॉच हेतु सूचनाओं के स्रोत के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रवर्तन मैनुअल में वर्णित है ।
2. उपरोक्तानुसार जॉच हेतु विधिवत तैयारी करते हुए व्यापारी की प्रोफाइल तैयार की जाय, जिसका विस्तृत विवरण प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-6 में वर्णित है ।
3. इस प्रकार जॉच हेतु एक प्राथमिक रिपोर्ट सम्बंधित अधिकारी द्वारा तैयार करके ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के समक्ष प्रस्तुत की जाए । ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा जॉच की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित प्रारूप-IB-1 में स्वीकृत पत्र जारी किया जाएगा । यह स्वीकृत पत्र जॉच के समय जॉच दल के पास उपलब्ध रहना चाहिए । जॉच अनुमति के सम्बंध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से गोपनीय सूचना जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) को अनिवार्य रुप से दी जाएगी ।
4. जॉच हेतु आवश्यकता पड़ने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर की अनुमति से कर निर्धारण कार्य से जुड़े अधिकारियों को भी जॉच टीम में सम्मिलित किया जाना राजस्व हित में वांछनीय होगा ।
5. व्यापार स्थल पर जाने से पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण कार्यालय से पत्रावली लाने के लिए अधिकृत करेंगे । गोपनीयता की दृष्टि से अधिकारी/ कर्मचारी को फर्म का नाम जॉच स्थल पर पहुॅचने के पश्चात ही बताया जाएगा ।
6. व्यापार स्थल पर जाने से ठीक पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) जॉच हेतु गठित टीम के साथ संक्षिप्त बैठक करते हुए टीम के सदस्यों को यह अवगत करायेंगे कि जॉच किस उद्देश्य से की जा रही है तथा उक्त जॉच में जॉच की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी । सर्वेक्षण के समय की जाने वाली जॉच से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का विभाजन करते हुए टीम के प्रत्येक सदस्यों को उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले जॉच कार्य से अवगत कराया जाएगा । अर्थात किस अधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाना है , किस अधिकारी के द्वारा जॉच के समय पाये गये अभिलेखों का परीक्षण किया जाना है, किस अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण लिखा जाना है, आदि ।
7. ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) का यह दायित्व होगा कि वह जॉच के पूर्व उपरोक्तानुसार जॉच से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया की कार्य-योजना विधिवत बनाएॅगें तथा प्रारुप IB-1 में स्वीकृति देने से पूर्व स्थान एवं व्यापार की संवेदनशीलता का ऑकलन करते हुए आवश्यकतानुसार जिला / पुलिस प्रशासन से सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।
8. ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के मार्गदर्शनानुसार में अधिकारियों की अपेक्षित संख्या बल के साथ व्यापारी के प्रतिष्ठान की जॉच की जाएगी । **व्यापारी से सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी की उपस्थिति जॉच के समय आवश्यक होगी ।**
9. जॉच हेतु गठित टीम का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सर्वेक्षण के समय यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अधिकारियों द्वारा अपना कार्य कार्य-योजना के अनुरुप सम्पादित किया जा रहा है ।

सर्वेक्षण के समय

1. सामान्यत: जॉच, कार्य - दिवस के पूर्वान्ह में ही प्रारम्भ की जाएगी ।
2. सर्वेक्षण के समय जॉच टीम द्वारा शालीन व्यवहार बनाये रखना अपेक्षित है ।
3. जॉच टीम के प्रत्येक सदस्य के पास विभागीय परिचय पत्र रखा जाना ही आवश्यक नही है वरन् परिचय पत्र सभी को सुलभता से दृष्टिगोचर भी होना चाहिए ।
4. जॉच टीम के प्रत्येक सदस्य द्वारा पूर्व में निर्धारित कार्य-योजना के अनुरुप स्वयं को आवंटित किये गये कार्यो को यथा सम्भव शीघ्रता से सम्पादित किया जाएगा तथा टीम प्रभारी से लगातार सम्पर्क करते हुए पाये गये प्रतिकूल तथ्यों से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।
5. सर्वेक्षण के समय अन्य कार्यवाहियॉ उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में निहित प्राविधानों एवं प्रवर्तन मैनुअल में निहित व्यवस्था के अनुरुप सम्पादित की जाएँगी ।

वि0अनु0शा0 जॉच के पश्चात की कार्यवाही

1. व्यापार स्थल के सर्वेक्षण कें पश्चात होने वाली अग्रिम जांच एवं अभिग्रहीत अभिलेखों की कार्यवाही जांच अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाएगी । जांच अधिकारी का अभिप्राय उस अधिकारी से है जिसके द्वारा जांच से संबंधित मामला प्रकाश में लाया गया है । जांच अधिकारी डिप्टी कमिश्नर से लेकर वाणिज्य कर अधिकारी तक किसी भी स्तर का हो सकता है ।
2. व्यापार स्थल की जॉच के पश्चात् जॉच अधिकारी द्वारा अगले दो कार्यदिवसो में जॉच के समय पाये गये तथ्यों एवं अभिग्रहीत अभिलेखों का प्राथमिक परीक्षण करते हुए निष्कर्ष निकाला जाएगा । निकाले गये प्राथमिक निष्कर्ष के आधार पर अगले कार्यदिवस में प्राथमिक जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप IB-2 भाग-1 में अनुमोदन हेतु ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
3. प्राथमिक जॉच आख्या (प्रारूप-IB-2) दो भांगो में विभाजित होगा । प्रथम भाग में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या संक्षेप में उल्लिखित होगी । द्वितीय भाग में ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) प्राथमिक जॉच के सम्बंध में अपनी अभ्युक्ति व्यक्त करते हुए अनुमोदन करने के सम्बंध में निर्णय लेंगे ।
4. ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) अपनी अभ्युक्ति के साथ ही जॉच अधिकारी के साथ आवश्यक विचार-विमर्श करके सर्वेक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर अनुमानित अपवंचित टर्नओवर निर्धारित करेंगे, जिसका उल्लेख प्रारूप-IB-2 के द्वितीय भाग में किया जाएगा ।
5. ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के अनुमोदन के उपरान्त प्राथमिक जॉच प्रतिवेदन IB-2 के दोनों भाग सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी को अगले कार्य-दिवस तक प्रेषित किये जाएंगे ।
6. कर निर्धारण अधिकारी अनुमानित अपवंचित टर्नओवर से प्रभावित नही होंगे । कर निर्धारण के समय वे सर्वेक्षण के समय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण की कार्यवाही एवं करारोपण के लिए स्वतंत्र होंगे ।
7. अभिग्रहीत अभिलेखों की विवेचना का कार्य आवश्यकतानुसार ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) इकाई में तैनात अन्य अधिकारी से भी करा सकते है अथवा किसी अन्य अधिकारी को सहयोग के रुप में लगा सकते हैं ।
8. प्राथमिक जॉच प्रतिवेदन सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करने के पश्चात जॉच अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं अभिग्रहीत अभिलेखों की विवेचना के आधार पर अंतिम जॉच प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा ।

9. जॉच प्रतिवेदन उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-45(4) में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समय में पूर्ण करके सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
10. विवेचना के उपरांत जॉच अधिकारी द्वारा यदि यह मत स्थिर किया जाता है कि रु0 एक लाख से अधिक कर का अपवंचन हुआ है तो उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-45(10) में निहित प्राविधानों के अनुसार जॉच अधिकारी पाये गये समस्त प्रतिकूल तथ्यों का उल्लेख करते हुए व्यापारी को कारण बताओं नोटिस तामील कराएँगे, जिसकी प्रति जॉच प्रतिवेदन के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
11. अन्तिम रुप से जॉच प्रतिवेदन तैयार करने के पश्चात जॉच अधिकारी द्वारा उक्त जॉच प्रतिवेदन का अनुमोदन ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) से प्राप्त किया जाएगा। ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण करेंगे तथा जॉच अधिकारी से आवश्यक विचार-विमर्श के उपरांत अपवंचित टर्नओवर एवं कर का ऑकलन करेंगे। यह ऑकलन सर्वेक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर ऑकलित किया जाएगा।
12. अनुमानित अपवंचित टर्नओवर एवं कर के ऑकलन के लिए ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) एवं जॉच अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी होंगे।
13. अन्तिम जॉच प्रतिवेदन की एक प्रति एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) को भी प्रेषित की जाएगी।

एकपक्षीय प्रतिवेदन

1. सर्वेक्षण के उपरांत अभिग्रहीत अभिलेखों की विवेचना में यदि व्यापारी द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता है तो नियमानुसार उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-54 (1) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जाएगी।
2. नियमानुसार नोटिस की तामीली होने पर भी यदि व्यापारी द्वितीय एवं तृतीय अवसर पर उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रत्येक बार बिना किसी उचित कारण के उपस्थित न होने की दशा में अर्थदण्ड की कार्यवाही पर विचार किया जाए ।
3. सुनवायी हेतु व्यापारी के तीन बार बिना किसी उचित कारण के उपस्थित न होने की दशा में फर्म के पंजीयन निरस्तीकरण के बिन्दु पर भी विचार किया जा सकता है, जिसकी संस्तुति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जा सकती है।
4. उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-45(5) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में व्यापारी को अभिग्रहीत अभिलेख अन्तिम कार्यवाही तक वापस न किये जाय।

वि0अनु0शा0 जॉच से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

1. किसी फर्म की जॉच के उपरांत यह पाया जाता है कि यदि उसकी किसी खरीद अथवा बिक्री के सम्बन्ध में किसी अन्य फर्म से भी सत्यापन कराया जाना आवश्यक है, तो जॉच अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उन फर्मो से ऐसी खरीद अथवा बिक्री का सत्यापन भी करायें यह सत्यापन जांच के बिन्दु तक ही सीमित रखना उचित होगा।
2. प्रारम्भिक जॉच में यदि किसी फर्म का अपवंचित टर्नओवर रु0 एक करोड़ से अधिक का ऑकलित किया जाता है तो जॉच अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं अभिग्रहीत अभिलेखों के संबंध में की जा रही विवेचना का अनुश्रवण एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) द्वारा किया जाएगा।

पारित कर निर्धारण आदेशों का परीक्षण

1. वि0अनु0शा0 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राथमिकता से अस्थायी / अन्तिम कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी प्रति सम्बन्धित वि0अनु0शा0 अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
2. कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि पारित किये गये कर निर्धारण आदेश की तिथि से 07 दिन के अन्दर उसकी प्रति सम्बन्धित वि0अनु0शा0 कार्यालय में उपलब्ध हो जाय।
3. पारित किये गये आदेशों का परीक्षण वि0अनु0शा0 अधिकारियें द्वारा किया जाएगा। रु0 एक करोड़ से अधिक के अपवंचित टर्नओवर वाले मामलों में आदेशों का परीक्षण एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) द्वारा, रु0 25 लाख से एक करोड़ के मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा एवं रु0 25 लाख तक के अपवंचित टर्नओवर वाले मामलों में आदेशों का परीक्षण सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा किया जाएगा।
4. पारित कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा इस आशय से की जाएगी कि उक्त आदेश में प्रतिवेदन के सभी प्रतिकूल तथ्यों को समावेशित कर दिया गया है तथा निर्धारित अपवंचित टर्नओवर उचित है।

प्राप्त परिवादों का निस्तारण

शासन / मुख्यालय / जोनल स्तर से प्राप्त परिवादों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार से व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

1. मुख्यालय एवं शासन के माध्यम से प्राप्त परिवादों का परीक्षण ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर मुख्यालय , लखनऊ द्वारा किया जाएगा। परीक्षणेापरांत प्रथमदृष्टया जिन मामलों में जॉच की आवश्यकता प्रतीत होगी उन्हे जोनल स्तर पर जोनल एडीशनल कमिश्नर को जॉच हेतु प्रेषित किया जाएगा।
2. मुख्यालय स्तर से एवं सीधे जोनल स्तर पर प्राप्त परिवादों का परीक्षण जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। जिन मामलों में जॉच की आवश्यकता प्रतीत होगी उन मामलों में जॉच हेतु परिवादों को सम्बन्धित क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) को प्रेषित किया जाएगा।
3. परिवाद से सम्बंधित ऐसे मामलों में जिनमें वि0अनु0शा0 इकाइयों से जॉच कराया जाना अपरिहार्य हो , को जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा जॉच हेतु वि0अनु0शा0 इकाईयों को प्रेषित किया जाएगा।
4. सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे प्राप्त परिवादों की जॉच अपने स्तर से करायी जाएगी। जिन मामलों में वि0अनु0शा0 इकाइयों के सहयोग की आवश्यकता हो, उनमें एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) के माध्यम से वि0अनु0शा0 इकाइयॉ जॉच हेतु सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएॅगी।
5. परिवादों की जॉच यथासम्भव परिवाद प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण की जाएगी।
6. जॉच अधिकारी द्वारा परिवादों के सम्बंध में प्रारम्भिक जॉच करके शिकायत की सत्यता एवं उसकी गम्भीरता के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्राथमिक जॉच में यदि यह पाया जाता है कि जिस व्यक्ति / फर्म के विरूद्ध शिकायत हुयी है , उसका व्यापार पंजीयन / करयेाग्य टर्नओवर की सीमा से कम है एवं उसके द्वारा मात्र अपने जीवनयापन एवं परिवार के भरण पोषण हेतु व्यवसाय किया जा रहा है , ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सर्वेक्षण अंकित नही किये जाएगे। जॉच अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में अपनी सुसंगत रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

7. मुख्यालय स्तर पर परिवादों के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप में पंजी रखी जाएगी :-

क्र0 सं0	परिवाद का श्रोत व पत्रांक	परिवादकर्ता का नाम पता व मोबाइल नं0	व्यक्ति/संस्था जिसके विरूद्ध शिकातय प्राप्त हुयी है	परिवाद का संक्षेप में विवरण	जॉच हेतु परिवाद किसे प्रेषित की गयी	प्रेषित पत्र संख्या व दिनांक	प्राप्त जॉच आख्या के पत्र संख्या व दिनांक	परिणाम	परिवादकर्ता को परिणाम से अवगत कराने का पत्रांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. जोनल स्तर पर परिवादों के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप में पंजी रखी जाएगी :-

क्र0 सं0	परिवाद का श्रोत व पत्रांक	परिवादकर्ता का नाम पता व मोबाइल नं0	व्यक्ति/संस्था जिसके विरूद्ध शिकातय प्राप्त हुयी है	परिवाद का संक्षेप में विवरण	जॉच हेतु परिवाद किसे प्रेषित की गयी	प्रेषित पत्र संख्या व दिनांक	प्राप्त जॉच आख्या के पत्र संख्या व दिनांक	परिणाम	मुख्यालय को जॉच आख्या प्रेषित किये जाने का पत्र व दि0	परिवादकर्ता को परिणाम से अवगत कराने का पत्रांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. जॉच अधिकारी स्तर पर परिवादों के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप में पंजी रखी जाएगी :-

क्र0 सं0	परिवाद का श्रोत व दिनांक	परिवादकर्ता का नाम पता व मोबाइल नं0	व्यक्ति/संस्था जिसके विरूद्ध शिकातय प्राप्त हुयी है	परिवाद का संक्षेप में विवरण	जोनल कार्यालय, मुख्यालय को जॉच आख्या प्रेषित किये जाने का पत्र व दि0	परिणाम
1	2	3	4	5	6	7

<u>जोनल स्तर पर अन्वेषक दल का गठन</u>

1. जोनल एडीशनल कमिश्नर प्रदेश में राजस्व की दृष्टि से चिन्हित एवं सम्बंधित जोन की संवेदनशील वस्तुओं के सम्बंध में जोन में कार्यरत किसी भी स्तर के कम से कम तीन भिज्ञ एवं कार्यकुशल अधिकारियों को चिन्हित करते हुए एक **अन्वेषक दल** का गठन करेंगे जो इन वस्तुओं के सम्बंध में विभिन्न श्रोतों से आवश्यक सूचना संकलित करते हुए उनका अध्ययन करेगें।
2. यह अन्वेषक दल सीधे जोनल एडीशनल कमिश्नर के अधीन होगा।
3. इस **अन्वेषक दल** द्वारा अपेक्षित अनुसंधान के पश्चात परिणामों से जोनल एडीशनल कमिश्नर को समय समय पर अवगत कराया जाएगा। इन संकलित सूचनाओं के आधार पर जोन की वि0अनु0शा0 इकाईयों के माध्यम से जोनल एडीशनल कमिश्नर आवश्यक जॉच सम्पादित करायेंगे।
4. जोनल एडीशनल कमिश्नर के द्वारा अन्वेषक दल के कार्य प्रगति की मासिक समीक्षा की जाएगी तथा इनकी कार्यप्रगति से मुख्यालय के वि0अनु0शा0 अनुभाग को अवगत करायेंगे।
5. अन्वेषक दल के उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्यो को उनके वार्षिक मूल्यांकन में भी सम्मिलित किया जाएगा।

वि0अनु0शा0 इकाईयो की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में जारी परिपत्र एवं प्रवर्तन मैनुअल के शेष निर्देश यथावत बने रहेंगे।

संलग्नक-<u>प्रारूप IB-1 व IB-2</u>

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

उ0प्र0 वाणिज्य कर विभाग

जॉच अनुमति पत्र

(प्रारूप IB-1)

क्र0सं0	विषय	विवरण
1	प्रतिष्ठान का नाम व पता	
2	टिन नम्बर	
3	फर्म साझीदार /स्वामी /निदेशक का नाम व पता	
4	सम्बन्धित कर निर्धारण कार्यालय	
5	उद्देश्य (व्यापारस्थल की जॉच /सूचना संकलन)	
6	स्थान जहॉ - जहॉ जॉच की जानी है	
7	जॉच अवधि	
8	जॉच का संक्षेप में कारण	
9	जॉचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	
10	जॉच में सम्मिलित अधिकारियें की सम्भावित संख्या	
11	क्या जिला पुलिस / प्रशासन का सहयोग आवश्यक है	
12	जॉच स्वीकर्ता अधिकारी की अभियुक्ति	
13	जॉच स्वीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर तिथि सहित	

प्राथमिक जॉच प्रतिवेदन

(प्रारूप IB-2)

भाग-1

(सम्बन्धित जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा)

क्र0सं0	विषय	विवरण
1	प्रतिष्ठान का नाम व पता	
2	टिन नम्बर	
3	शाखाएँ	
4	फर्म साझीदार /स्वामी /निदेशक का नाम व पता	
5	प्रतिष्ठान का स्वरूप	स्वामित्व/साझेदारी/कम्पनी/ अन्य आदि
6	व्यापारिक वस्तुएँ	
7	व्यापार की श्रेणी	फुटकर खरीद-बिक्री / उत्पादक/डिस्ट्रीब्यूटर/ कमीशन एजेन्ट/ थोकबिक्रेता/बिल्डर्स/ होटल/ संविदाकार/अन्य आदि
8	मासिक / त्रैमासिक नक्शों की स्थिति	नियमित /अनियमित
9	स्वीकृत कर की धनराशि	
10	स्वीकृत कर की स्थिति	संतोषजनक/असंतोषजनक
11	प्रतिष्ठान के गोदामों का विवरण	
12	प्रतिष्ठान के बैंक एकाउन्ट का विवरण	
13	व्यापार स्थल की जॉच की तिथि	
14	अभिग्रहीत अभिलेखो का विवरण	यदि अभिग्रहण है तो अभिग्रहण मेंमो की प्रति संलग्न करें
15	अनुमानित अघोषित स्टाक	
16	कर निर्धारण पत्रावली के आधार पर पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	
17	जॉच के समय पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	
18	अनुमानित अपवंचित विक्रयधन का आधार	
19	अन्य विशेष अभियुक्ति	

जॉचकर्ता अधिकारी का नाम व पद

(हस्ताक्षर व तिथि सहित)

भाग-2

(सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा)

1	अभिग्रहीत अभिलेखो के सम्बंध में संक्षिप्त मन्तव्य	
2	व्यापार स्थल पर पाये गये स्टाक के सम्बंध में संक्षिप्त मन्तव्य	
3	जॉच में अपेक्षित कार्यवाही यदि कोई है	
4	जॉच रिपोर्ट के अनुमोदन के सम्बंध में	हॉ अथवा नही
5	अनुमानित अपवंचित टर्नओवर	
6	अनुमानित अपवंचित कर	
7	विशेष अभियुक्ति	
8	अनुमोदनकर्ता के हस्ताक्षर	
9	अनुमोदनकर्ता के नाम व पद (मोहर एवं तिथि सहित)	

अनुमोदनकर्ता का नाम व पद
(हस्ताक्षर व तिथि सहित)